

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह एवं सुराजी ग्राम योजना की भूमिका

श्री मानिक चंद हिमधर
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र
शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर
जिला—कोरिया (छ0ग0)

डॉ. रंजना नीलिमा कच्छप
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र
शासकीय नवीन कन्या
महाविद्यालय बैकुण्ठपुर
जिला—कोरिया (छ0ग0)

शोध सार—

हमारे देश में ग्रामीण निर्धनता का एक कारण ऋण और वित्तीय सेवाओं तक उचित पहुंच का अभाव है। सुराजी गांव योजना आर्थिक मजबूती एवं सामाजिक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम बनी हुई है। स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपने हुनर से सफलता की राह में आगे कदम बढ़ा रही हैं। गोबर संग्रहण से शुरू हुआ ये सफर आज एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा है कि यहां हर एक ग्रामीण अपनी रूचि के मुताबिक काम पा सकता है। गौठानों में बड़े पैमाने पर सब्जियों का उत्पादन कर ग्रामीण महिलाएं आजीविका से जुड़ कर पर्याप्त धन अर्जित कर रही हैं। इस योजना से आत्मनिर्भर बनती ग्रामीण महिलाएं स्व-सहायता समूह बनाकर योजना से बेहतर काम करके दिखा रही हैं। इन्होंने शासन की योजना नरवा, गरवा, घुरूवा अउ बारी अंतर्गत गौठान और चारागाह निर्माण कर इसे अपनी आय का साधन बना लिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस योजना के साथ महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में आगे ले जाने का अनुकरणीय काम किया है। छत्तीसगढ़ की बहुत सी महिला स्व-सहायता समूहों के द्वारा शासकीय तौर पर आबंटित भूमि में शाक उत्पादन, चारागाह, हल्दी, अदरक उत्पादन के साथ ही साथ वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाई है।

प्रस्तावना—

गांवों में सामाजिकता पर गौर करें तो पाते हैं कि किसी भी कार्य में मदद लेने और देने की परम्परा सदियों से चली आ रही है। जैसे “सामुदायिकता की भावना” आदिवारी समाज की सबसे बड़ी विशेषता है और यह इसके सामाजि, आर्थिक और राजनैतिक पहलुओं के तार से भी जुड़ी हुई है। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएँ जैसे सेल्फ एम्पलाईड वीमेन एसोसियेशन (SEWA) अहमदाबाद, मयराडा, बँगलोर आदि के माध्यम से हुई थी। मयराडा, बँगलोर के इतिहास को देखा जाए तो इस संस्था ने वर्ष 1968 से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में मयराडा ने मुख्य रूप से चीन युद्ध के पश्चात् तिब्बत से आये तिब्बतियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य शुरू किया। दूसरे दौर में इस प्रकार वर्ष 2000 तक लाखों लोगों को सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का लक्ष्य बनाया।

गांव में कुल आबादी का 75 प्रतिशत से भी अधिक आबादी का प्रमुख आधार खेती है। ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं हैं पहली यह कि खेती के अतिरिक्त अन्य आय के साधन इनके पास नहीं होते हैं। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है इसलिए बचे समय में ग्रामीणों को आय के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीन व गहनों को गिरवी रखनी पड़ती है और परिस्थिति से मजबूर होकर इसे छोड़ा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच यदि अन्य समस्याएं (बीमारी, मृत्यु, पर्व, शादी) आ जाए तो बंधक रखने की सीमाएं बढ़ जाती हैं। बैंक शाखाओं की वृहद् नेटवर्क होते हुए भी ग्रामीणों की पहुंच वहां तक नहीं है। चूंकि निर्धनों की जरूरतें छोटे ऋणों से संबंधित होती हो, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताएं उपयोग और उत्पादन दोनों उद्देश्यों से जुड़ी हैं, बैंक वाले इसे खतरा मानते हैं और उधार देने से हिचकते हैं। इस संकट से उबरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो संभवतः कुछ नहीं कर सकता है परंतु कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी-थोड़ी बचत करते करते एक पूंजी जमा कर सकते हैं। इसी पूंजी से वे एक

दूसरे की मदद करते हैं और इसका उपयोग करके धीरे-धीरे जमीन छुड़ाते हैं। स्पष्टतः इसी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है परंतु स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कुछ हद तक अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। शासन की मंशानुरूप गौठान को आजीविका का केन्द्र बनाने का जो संकल्प लिया गया था, उन उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। गौठान में महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा बाड़ी विकास का वृहद् कार्य किया जा रहा है जिसमें महिलाएं प्रमुखता से उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर रही हैं। प्रदेश के गौठान हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रमुख साधन बन कर उभर रहा है। गौठान में महिलाएं टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला जैसे उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर रही हैं। इसके साथ ही महिलाएं बड़े पैमाने पर आयस्टर मशरूम का भी उत्पादन कर रही हैं। समूह की महिलाएं जैविक खाद का उत्पादन भी कर रही हैं। जैविक खाद निर्माण के लिए लगाए गए बेड में स्व-सहायता समूह की बहुत सी महिलाएं धनिया और पालक लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं द्वारा किये जा रहे स्वीटकार्न और मशरूम की खेती को देखकर तो निर्विवादित रूप से कहा जा सकता है कि कृषि में नवाचार महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी।

लॉकडाउन की लम्बी और मुश्किल घड़ी में छत्तीसगढ़ का गांव-गांव गौठानों के सहयोग से न केवल आर्थिक रूप से संतुलित बना रहा बल्कि ग्रामीणों को भी लॉकडाउन के दौरान शाक भाजी की कमी नहीं होने पाई। वर्तमान दिनों में ग्रामीण जन इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि यदि ऐन वक्त में गौठानों का सहयोग न मिला होता तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अमूमन ग्रामीण महिलाओं की खुशहाल परिस्थिति समूचे प्रदेश में एक सी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 98690 बाड़ियां और प्रदेश में 8404 गौठानों में 39090 हितग्राहियों के साथ 4429 सामुदायिक बाड़ियों की मदद से घरेलू आर्थिकीय को एक मजबूत सहारा देने वाली महिलाओं की संख्या हर दिन बढ़ रही है। समृद्धि की दिशा में उठ चुका महिलाओं का कदम समाज में एक नई सोच और उत्साह को पैदा करने वाला साबित हो रहा है।

अपनी सफलता और समृद्धि के लिए भूपेश सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा करने वाली इन ग्रामीण महिलाओं को देखकर इस बात के लिए आश्वस्त हुआ जा सकता है। कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए आनंद का होगा।

स्वयं सहायता समूह (SHG) कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। सामान्यतः एक ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है जिसके सदस्य एक-दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। SHG स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्वयं सहायता' (Self-Employment) की धारणा है।

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह है जो:-

- नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं।
- व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं।
- समूहिक निर्णय लेते हैं।
- समूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं।
- समूह द्वारा तय किये गये नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।

शोध प्राविधि-

प्रस्तुत शोध पत्र अनुभवजन्य तथ्यों एवं प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची उपकरण तथा प्रत्यक्ष अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है।

समूह के सिद्धांत एवं उद्देश्य—

संगठन में शक्ति है। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए समूह के सदस्य मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्वयं सहायता के सिद्धांत पर इसका संचालन होता है। समूह के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार हो सकते हैं—

1. परस्पर सहभागिता व सहयोग से समूह के सदस्यों की गरीबी दूर करने का प्रयास करना।
2. परस्पर सहभागिता में मितव्ययिता की भावना पैदा कर नियमित रूप से एक निश्चित राशि प्रतिमाह बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. समूह के सदस्यों द्वारा बचत की गई राशि से 'साझा कोष' का निर्माण करना।
4. समूह के सदस्यों को आय उपार्जन के लिए और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए जरूरत के अनुसार 'साझा कोष' में से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
5. बचत व साख समूह के रूप में काम करते हुए समूह के सदस्यों को बैंकिंग जैसी व्यावसायिक प्रक्रिया से परिचित कराना।
6. समूह के सदस्यों में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास की भावना पैदा करना।
7. समूह के सदस्यों को समाज-परिवार में व्याप्त सामाजिक बुराईयों (बाल विवाह, विधवा विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, मदिरापान, अशिक्षा आदि) के प्रति जागरूक करना।
8. समूह के निरक्षर सदस्यों को साक्षर बनाना।
9. सरकार द्वारा गरीबों के व विशेषकर महिलाओं के हितार्थ चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा कर समूह के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना और पात्र सदस्यों को इन योजनाओं का लाभ दिलाना।

समूह के कार्यक्षेत्र—

बहुत सारे लोगों के लिए यह मिथ्या धारणा है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा केवल आर्थिक गतिविधियां ही चलायी जाती है। इसके द्वारा बचत को संचित किया

जाता है, ऋणों का लेन-देन होता है और छोटी-छोटी आय उपार्जक गतिविधियाँ चलायी जाती हैं। लेकिन स्वयं सहायता समूह का कार्यक्षेत्र इससे अधिक विस्तृत है। इसके द्वारा हम महिलाओं को जीवन से जुड़े दूसरे मुद्दों का हल ढूँढ सकते हैं। इसके द्वारा महिलाएँ—बाल विवाह पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, महिला हिंसा व उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, महिला शिक्षा अधिकार, पारिवारिक जीवन से जुड़ी परेशानियाँ, तलाक, परित्याग, भरण-पोषण, भत्ता आदि से जुड़े अन्य विषयों को उठा सकती है और मिलकर समुदाय व समूह के सदस्यों को संवेदीकृत कर सकती है। साथ ही इनके समाधान के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकती है। इसके अतिरिक्त समूहों के माध्यम से सदस्य स्वास्थ्य, पोषण व देखभाल से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकती है। उनकी पोषण, स्वास्थ्य, प्रसव व गर्भावस्थाकाल से जुड़ी सावधानियों व देखभाल तथा सरकारी सुविधाओं की जानकारी व पहुँच आसान होती है। परिवार नियोजन व टीकाकरण से जुड़ी बातें व इसके लिए आवश्यक मानसिक प्रेरणाएँ समूह के सदस्यों को एक-दूसरे से प्राप्त होती हैं। घर या बाहर किसी प्रकार की संकटपूर्ण स्थिति आने पर समूह की सदस्य बेहद मददगार सिद्ध होती है और वे एक दूसरे की हर सम्भव मदद करती है। सभी में परस्पर पारिवारिक सदस्य की भाँति प्रेम व सौहार्द का रिश्ता विकसित होता है। वे अधिकार के लिए मिलकर आवाज उठाना सीखती हैं। अब वे कहीं भी एक साथ जाती हैं और सरकारी योजनाओं का भी लाभ अधिक कुशलता से लेने में समर्थ होती हैं।

स्व-सहायता समूह की सफल महिलाओं की कहानी—


बाड़ी विकास से अपना जीवन विकसित करने वाली स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष शमशुन निशा बताती हैं कि समूह का गठन होने के बाद से ही वे गौठान में विभिन्न गतिविधियों से जुड़कर कार्य कर रही है। 10 सदस्यों वाले इस समूह में 3 महिला सदस्य हैं जो सफलतापूर्वक बाड़ी विकास का कार्य कर रही हैं। समूह की महिलाएं आरंभ से ही अपने घरों में छोटे पैमाने पर सब्जी उत्पादन का काम किया करती थी लेकिन जब उनके सामने समूह बनाकर गौठान में शाक उत्पादन का अवसर

आया तो उनका सब्जी लगाना का पुराना तजुर्बा बहुत काम आया ऐसा कहना है समूह की सचिव अंजुलता का। अपने समूह की सफलता की कहानी सुनाते हुए उन्होंने बताया कि मात्र 5 महिनों में 25 हजार रुपये की लागत से बनी बाड़ी से मटर, बैंगन, मूली, आलू और भाजी उपजा कर उन्होंने लागत काटर अब तक 45 हजार रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है और लाभ की ये राशि बढ़ते क्रम में भी है। धनागम का ये नया मार्ग पाकर ग्रामीण महिलाएं आल्हादित हैं।

सुराजी गांव योजना से महिला स्वयं सहायता समूह को कार्य मिलने की स्थिति का विवरण

तालिका क्र. 1: सुराजी गांव योजना से महिला स्वयं सहायता समूह को कार्य मिलने की स्थिति का विवरण एवं प्रति ात

क्र.	महिला स्वयं सहायता समूहों को कार्य मिला	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	54	100.00
2.	नहीं	0	0.00
3.	कह नहीं सकते	0	0.00
	योग :-	54	100.00




उपर्युक्त तालिका क्र. 1 एवं रेखाचित्र में सुराजी गांव योजना से महिला स्वयं सहायता समूह को कार्य मिलने की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान भात-प्रति भात हितग्राहियों ने बताया कि सुराजी गांव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को कार्य प्राप्त हुआ है।

हितग्राहियों के द्वारा सुराजी गांव योजना में काम करने से पूर्व के कार्य का विवरण

तालिका क्र. 2: हितग्राहियों के द्वारा सुराजी गांव योजना में काम करने से पूर्व के कार्य का विवरण एवं प्रति भात

क्र.	सुराजी गांव योजना में काम करने से पूर्व का कार्य	संख्या	प्रतिशत
1.	केवल कृषि	23	42.59
2.	केवल दुकान	2	3.70
3.	केवल मजदूरी	8	14.81
4.	केवल नौकरी	0	0.00
5.	अन्य	3	5.56
6.	कृषि और दुकान	15	27.78
7.	कृषि और मजदूरी	3	5.56
	योग :-	54	100.00




उपर्युक्त तालिका क्र. 2 एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों के द्वारा सुराजी गांव योजना में काम करने से पूर्व के कार्य को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान अध्ययन करने पर 54 में से 23 (42.59%) हितग्राही केवल कृषि कार्य करते पाए गए जबकि 2 (3.70%) हितग्राही केवल दुकान, 8 (14.81%) हितग्राही केवल मजदूरी, 15 (27.78%) हितग्राही कृषि एवं दुकान तथा 3 (5.56%) हितग्राही कृषि और मजदूरी कार्य में संलग्न पाए गए जबकि 3 (5.56%) हितग्राही अन्य प्रकार के कार्य में संलग्न पाए गए तथा कोई भी हितग्राही केवल नौकरी करने वाले नहीं पाए गए।

हितग्राहियों के द्वारा योजना से पूर्व कार्य करने की स्थिति का विवरण

तालिका क्र. 3: हितग्राहियों के द्वारा योजना से पूर्व कार्य करने की स्थिति का विवरण एवं प्रतिशत

क्र.	सुराजी गांव योजना के पहले कार्य करने की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	29	53.70
2.	नहीं	25	46.30
3.	कह नहीं सकते	0	0.00
	योग :-	54	100.00




उपर्युक्त तालिका क्र. 3 एवं रेखाचित्र में सुराजी गांव योजना से पूर्व हितग्राहियों के कार्य करने की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान अध्ययन करने पर 29 (53.70%) हितग्राही ऐसे पाए गए जो जीवनयापन हेतु सुराजी गांव योजना से पूर्व ही कार्य कर रहे थे तथा 25 (46.30%) हितग्राही ऐसे पाए जिनको योजना के बाद कार्य मिला।

छोटी जरूरतों के लिए महिलाओं का परिवार के लोगों पर निर्भरता की स्थिति का विवरण

तालिका क्र. 4: छोटी जरूरतों के लिए महिलाओं का परिवार के लोगों पर निर्भरता की स्थिति का विवरण एवं प्रतिशत

क्र.	छोटी जरूरतों के लिए महिलाओं का परिवार के लोगों पर निर्भरता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	10	18.52
2.	नहीं	43	79.63
3.	कह नहीं सकते	1	1.85
	योग :-	54	100.00



उपर्युक्त तालिका क्र. 4 एवं रेखाचित्र में सुराजी गांव योजना से हितग्राहियों के घरों में छोटी जरूरतों के लिए महिलाओं का परिवार के लोगों पर निर्भरता की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान अध्ययन करने पर 10 (18.52%) हितग्राहियों के घरों में महिलाएं छोटी जरूरतों के लिए अपने परिवार के लोगों पर निर्भर पायी गई तथा 43 (79.63%) हितग्राहियों के घरों में महिलाएं छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर पायी गई जबकि 1 (1.85%) हितग्राही ने बताया कि यह नहीं कह सकते कि इस योजना के आने के बाद छोटी जरूरतों के लिए महिलाओं का परिवार के लोगों पर निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

समस्याएं एवं सुझाव—

भारत में स्वयं सहायता समूहों का विकास तो तेजी से हो रहा है लेकिन इन समूहों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के अभाव के अलावा और भी कई कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हैं जिन पर ध्यान देकर स्वयं सहायता समूह व्यवस्था को अधिक कारगर व लाभप्रद बनाया जा सकता है। इनमें एक पहलू लघु ऋण देने वाले बैंकों की भूमिका से जुड़ा है। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीतियाँ स्वयं सहायता समूहों की संरचना व उद्देश्यों से मेल नहीं खाती। पहली अड़चन तो यह आयी कि इन बैंकों को स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को समझने में ही लम्बा समय लग गया और अब समझा भी तो पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया। एक समस्या और है कि इन समूहों का विकास व अन्य समुचित एजेन्सियों से जुड़ाव नहीं हो पाया है। वे एक अलग इकाई के रूप में काम करते हैं जिससे कोई बड़ी या महत्वपूर्ण गतिविधि को हाथ में नहीं ले पाते। इसका परिणाम यह होता है समूहों को सरकारी परियोजनाओं या पंचायत के कार्यों से जोड़ दिया जाए तो इनकी उपयोगी संस्थाएँ हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। पंचायतों से जुड़कर स्वयं सहायता समूह स्थानीय स्वशासन में हिस्सेदारी कर सकते हैं और साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में सुझाव भी दे सकते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से अगर यह कहा जाए कि स्वयं सहायता समूहों के निर्माण की योजना भारत सरकार का एक क्रान्तिकारी कदम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके जरिए न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है बल्कि एकजुट होकर सामाजिक कुरीतियों, नारी उत्पीड़न तथा ऊँच-नीच के भेदभाव को भी मिटाया जा सकता है। ग्रामीण गरीबों की आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहे इन समूहों की बदौलत ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने लगी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. एस. पी. सिंह, ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं और प्रबन्ध, संस्करण— 2003
2. दत्ता एवं सुन्दरम् भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्करण 2009
3. पन्त डी0 सी0, भारत में ग्रामीण विकास, संस्करण— 2015
4. लाल बसन्त, ग्रामीण अर्थशास्त्र, संस्करण — 2017
5. चावला प्रदीप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संस्करण 2018 पृष्ठ क्र0 06
6. राव के. डी. पी. (अपर मुख्य सचिव) सुराजी गांव योजना मार्गदर्शिका 2019
7. द्विवेदी संजय कुमार 'समर्पण 2019— 20 पृष्ठ क्र0 58, 59 एवं 60
8. हिन्दी योजना (पत्रिका) 2020
9. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सुराजी गांव योजना मार्गदर्शिका प्रकाशन वर्ष 2019
10. प्रजापति तूलिका (सी ई ओ) नवभारत दिनांक 26.05.19 पेज क्र0 03
11. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (नई दुनिया दि0 05.06.19 पेज क्र0 04)
12. खेतान सी के (अति. मुख्य सचिव) हरिभूमि दिनांक 06.06.2019 पेज क्र0 01
13. त्रिपाठी संजय चंदन (हरिभूमि 6 जून 2019 पेज नं0— 12)